न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 62/2008 G.C.M.S. No. 2008/00040 वर्ज दिनांक : 31.10.2008

अपीलार्थी:

1. कमला पत्नि शिवकुमार द्विवेदी, महामंदिर जोधपुर
   अब मृतक जरिये कायम मुकाम:–
   1/1 महेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय शिवकुमार द्विवेदी, महामंदिर जोधपुर
   1/2 मनोज पुत्र स्वर्गीय शिवकुमार द्विवेदी, महामंदिर जोधपुर
   1/3 चन्द्रकान्ता पुत्री स्वर्गीय शिवकुमार पत्नि भंवरलाल शर्मा, साईधाम के पास, हाईस्कूल रोड़, रानी स्टेशन
   1/4 सविता पुत्री स्व. शिवकुमार पत्नि केशवकुमार त्रिवेदी केशवकुंज, ब्रह्मपुरी नागौर।
   1/5 अरूणा पुत्री स्व. शिवकुमार पत्नि लक्ष्मणराज त्रिवेदी, रामेश्वर मंदिर के पास, चान्दपोल, जोधपुर।
   1/6 सुशीला पत्नि स्व. राजकुमार पुत्र स्व. शिवकुमार जाति द्विवेदी
   1/7 वनीता पुत्री स्व. राजकुमार पुत्र स्व. शिवकुमार जाति द्विवेदी
   1/8 विपुल पुत्र स्व. राजकुमार पुत्र स्व. शिवकुमार जाति द्विवेदी
   1/9 सचिन पुत्र स्व. राजकुमार पुत्र स्व. शिवकुमार जाति द्विवेदी
   1/10 सिद्धार्थ पुत्र स्व. राजकुमार पुत्र स्व. शिवकुमार जाति द्विवेदी आयु अब 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वादमित्र कुदरती वलिया माता 1/6 सुशीला पत्नि स्व. राजकुमार
   1/11 सुशीला पुत्र स्व. राजकुमार पुत्र स्व. शिवकुमार जाति द्विवेदी आयु अब 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वादमित्र कुदरती वलिया माता 1/6 सुशीला पत्नि स्व. राजकुमार निवासीगण ब्रह्मपुरी, महामंदिर, जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. शांतिलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली। (फौत, विलोपित)
2. सुरेशचन्द्र पुत्र शांतिलाल जाति ब्राह्मण निवासी धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
3. महेशचन्द्र पुत्र शांतिलाल जाति ब्राह्मण निवासी धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
4. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 249/1995 बअनवान कमला बनाम शांतिलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2008 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री गजेन्द्र मेहता, श्री युगलकिशोर, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 249/1995 बअनवान कमला बनाम शांतिलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2008 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 951, 953, 1689, 652 स्वर्गीय मोहनलाल पुत्र धूलचन्द ब्राह्मण निवासी चनला की खातेदारी हक को थीं, जिनका निधन दिनाक 13/04/1984 को हो गया और उक्त स्वर्गीय मोहनलाल के वारिस अपीलान्ट कमला व रेस्पोण्डेन्ट संख्या शान्तिलाल उसके पुत्र व पुत्री ही हैं। रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 सुरेशचन्द व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 3 महेशचन्द रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 शान्तिलाल के पुत्र है। लेकिन ये दोनों स्वर्गीय मोहनलाल के वारिस न तो है न हो सकते हैं। स्वर्गीय मोहनलाल हिन्दू धर्म के अनुयायी थें। अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 दोनों हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अनुसार उनके प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण उनके खातेदारी हक की कृषि भूमि के वारिस उसका निधन होते ही हो गये। और रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 व 3 का कोई हक इस कृषि भूमि में नहीं पैदा हुआ। अपीलान्ट का वादस्थ कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी हक का है व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 का भी 1/2 हिस्सा खातेदारी हक का है। इसके बारे में हिन्दू सक्सेशन एक्ट स्पष्ट है रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 शान्तिलाल की मौजूदगी में उसके पुत्र सुरेशचन्द्र व महेशचन्द्र का कोई किसी प्रकार से हक नहीं हो सकता। इसलिए कानून के अनुसार अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 दोनों को–शेयरर्स है इस तथ्य को रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 ने स्वीकार किया है। जब कानून के अनुसार वादग्रस्त जमीन के अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 खातेदार है तो उन्हें डिविजन ऑफ होल्डिंग कराये जाने का अधिकार है। राजस्व वाद में सुरेशचन्द्र व महेशचन्द्र का नाम ग्राम पंचायत धनला द्वारा बिल्कुल ही गलत तौर से दर्ज करने के कारण उनको पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोण्डेन्ट संख्या 4 को आवश्यक पक्षकार होने के कारण मूल राजस्व वाद में पक्षकार बनाया गया है एवं अपील में भी पक्षकार बनाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादिनी का वाद महज इस कारण खारिज किया है कि उसका नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं हैं व वह रेकर्डेड खातेदार नहीं है। जब कानूनन व वाक्याति तौर से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलाण्ट वादिनी कोशेयरर है तो जमाबन्दी में नाम दर्ज नहीं होने के कारण उसका वाद खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही रेस्पोण्डेन्ट प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावों में कहीं भी कोई उज्र नहीं किया है कि वादिनी रेकर्डेड खातेदार नहीं हैं इसलिए डिविजन ऑफ होल्डिंग का दावा नहीं कर सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने इस सम्बन्ध में जो रूलिंग्ज अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वादिनी की तरफ से पेश हुए उसका कोई विवेचन नहीं किया है और कुछ रूलिंग को फैसले में कन्सीडर ही नहीं किया है। जब अपीलाण्ट वादिनी को–शेयरर कानून के अनुसार है तो उसको कोशेयर होने की घोषणा का वाद लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और घोषणा की दादरसी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं हैं यहां यह लिखना उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ने जो आदेश स्वर्गीय मोहनलालजी की मृत्यु होने के पश्चात् म्यूटेशन बाबत दिया है वह सरासर गलत है। ग्राम पंचायत को म्यूटेशन अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 शान्तिलाल के हक में करने का आदेश देना चाहिए था। लेकिन रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 व 3 से मिलावट कर गलत आदेश दिया व अपीलाण्ट के हक में म्यूटेशन नहीं किया व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 के साथ रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 व 3 के हक म्यूटेशन करने का बिल्कुल गलत कानून के विरूद्ध करने का आदेश प्रदान किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवरण एवं विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2008 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादिया अपीलांट द्वारा प्रकरण में प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 18.06.2008 को आवेदन प्रस्तुत कर देने व अधीनस्थ न्यायालय से डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 05.07.2008 को प्राप्त होने से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया जोकि शिवकुमार द्विवेदी की पत्नि है, द्वारा वादग्रस्त आराजी मोहनलाल पुत्र धूलचंद की खातेदारी आराजी होने, मोहनलाल का देहांत होने तथा वादिया अपीलांट मोहनलाल की पुत्री होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल का पुत्र होने से वादिया का पिता मोहनलाल की मृत्यु दिनांक से वादग्रस्त आराजी में 1/2 खातेदारी हिस्सा निहित होने तथा फौतेदगी नामांतरण केवल प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र के नाम दर्ज कर देने तथा बाद में प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, का भी नाम जोड़ देने के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1/2 हिस्से का बंटवाड़ा बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम कर बाद साक्ष्य अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादिया अपीलांट सहखातेदार नहीं होने तथा वादिया द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अनुतोष नहीं चाहने से वादपत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बंटवाड़ा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया।

3. हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र व अन्य दस्तावेजात तथा जमाबंदी के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया तथा वादग्रस्त आराजीयात में वादिया बतौर सहखातेदार दर्ज नहीं हैं। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि विभाजन का वादपत्र केवल साझेदार आसामियों के मध्य ही चल सकता है तथा केवल एक से अधिक साझेदार अभिधारी द्वारा ही उक्त धारा के अंतर्गत एक या अधिक साझेदार अभिधारियों के विरूद्ध विभाजन बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है एवं ऐसे प्रकरण में केवल समस्त साझेदार अभिधारी एवं भूमिधारी ही आवश्यक पक्षकार होते हैं। वादपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादिया द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं न ही वादपत्र में इस बाबत कोई अंकन है। ऐसी स्थिति में विभाजन का वादपत्र पोषणीय नहीं हैं तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र खारिज करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

4. वादिया अपीलांट द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात अपने पिता की खातेदारी आराजी होने तथा पिता की मृत्यु उपरांत वादिया पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र का बतौर उत्तराधिकारी वारिस 1/2–1/2 हिस्सा निहित होने का अंकन किया है। लेकिन उक्त 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किए जाने बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष के अभाव में सीधे ही विभाजन के संबंध में डिक्री पारित नहीं कर सकता। वादिया के पास यह विकल्प है कि वह वादग्रस्त आराजीयात में कानूनन निहित खातेदारी अधिकारों के हिस्से की घोषणा के अनुतोष के साथ विभाजन का दावा कर सकती हैं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव पाया गया। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 249/1995 बअनवान कमला बनाम शांतिलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2008 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner